



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्गमंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



छात्रावास

आईएचई परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास के सामने प्रशिक्षुओं के लिए व्यायाम और खेल के लिए एक मैदान है।

अकादमी में लगभग 120 प्रशिक्षुओं (ट्विन शेयरिंग आधार) के लिए छात्रावास की सुविधा है। प्रशिक्षुओं को सरकारी नियम के अनुसार छात्रावास में प्रवेश दिया जाएगा। छात्रावास के नियम और विनियम प्रशिक्षुओं के लिए अनिवार्य होंगे। नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने और प्रवेश के बाद छात्रावास से अनुपस्थित रहने पर छात्रावास से उनका प्रवेश रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

• छात्रावास नियम:

आईएचई परिसर में लगभग 120 प्रशिक्षुओं (ट्विन शेयरिंग आधार) के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

किसी भी स्थिति में पति/पत्नी/परिवार के सदस्य को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है।

- एक बार संस्थान प्राधिकारियों द्वारा कमरा आवंटित कर दिया जाए तो सामान्यतः उसमें कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छात्रावास के कमरे और अन्य छात्रावास सुविधाएँ छात्रावास में भर्ती प्रशिक्षुओं के विशेष उपयोग के लिए हैं। शौचालय/स्नानघर सहित कमरे में साफ-सफाई का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है।
- गलियारों में सफाई रखना छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षुओं की सामान्य जिम्मेदारी है।
- महिलाओं और बाहरी लोगों को प्रशिक्षुओं से मिलने उनके कमरों में जाने की सख्त मनाही है। आगंतुकों को रात भर कमरों में रहने की अनुमति नहीं होगी। छात्रावास में अनधिकृत रूप से रात भर रहने पर छात्रावास और यहां तक कि संस्थान से भी निष्कासन किया जाएगा।
- पुरुष और बाहरी लोगों को महिला प्रशिक्षुओं से उनके कमरों में मिलने की सख्त मनाही है। छात्रावास में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता/दुर्व्यवहार के लिए छात्रावास और यहां तक कि संस्थान से भी निष्कासन का प्रावधान है।
- छात्रावास वार्डन की जानकारी के बिना तथा निदेशक की लिखित अनुमति के बिना छात्रावास से दो दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने पर छात्रावास प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
- छात्रों को गलियारों में पूर्ण शांति बनाए रखनी होगी तथा अपने-अपने कमरों में इस प्रकार व्यवहार करना होगा जिससे दूसरों को कोई परेशानी न हो।
- छात्रावास परिसर में किसी भी रूप में नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू का सेवन, धूम्रपान सख्त वर्जित है और दंडनीय अपराध है।
- प्रशिक्षु छात्रावास की साज़-सामान और फिक्सचर की देखभाल करेंगे और उनके रखरखाव के लिए छात्रावास वार्डन के साथ सहयोग करेंगे और विद्युत प्रतिष्ठानों और फर्नीचर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
- बिजली और पानी की बर्बादी रोकी जानी चाहिए। जब ज़रूरत न हो तो लाइट और पंखे बंद कर दिए जाने चाहिए और नल बंद कर दिए जाने चाहिए। हॉस्टल के कमरों में अतिरिक्त बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
- मेडिसिन किट हॉस्टल रिसेप्शन पर उपलब्ध है।
- प्रशिक्षुओं के उपयोग के लिए सामूहिक कमरे में प्रिंटर सहित कंप्यूटर उपलब्ध है।
- सामूहिक कमरे में बिलियर्ड, टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम जैसी इनडोर खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- खेलकूद की मैदानी सुविधाएं जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल उपलब्ध हैं।

• आईएचई परिसर का गेट प्रतिदिन रात्रि 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रशिक्षुओं को परिसर का गेट बंद होने से पहले वापस लौटना होगा।

- छात्रावास वार्डन घोषित समय सारिणी के अनुसार प्रतिदिन हाजिरी लेंगे, जिसके लिए निवासियों को उपस्थित होना होगा। रोल कॉल के समय अनुपस्थिति केवल वार्डन की अनुमति/जानकारी से ही होनी चाहिए।
- प्रशिक्षुओं को सलाह दी जाती है कि वे उचित सुरक्षा उपायों के बिना कमरों में नकदी या कीमती सामान न रखें। कमरों से कीमती सामान के किसी भी नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
- इन नियमों और बाद में लागू किए जाने वाले अन्य नियमों का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा।
- छात्रावास वार्डन संस्थान प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए इन तथा अन्य सभी नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा तथा वार्डन और संस्थान के निदेशक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में छात्रावास के दिन-प्रतिदिन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा।

आदेशानुसार
निदेशक, आईएचई